...लय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–149 / 2022 धारा–144 दं0प्र0स0

सुनिता देवी –बनाम– भोला सिंह वगै0

–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :– | अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 13.07.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा–रतनाग, थाना–चौपारण,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
17	878	05 डी0	उ0– चन्द्रीका साव द0– रेवा साव पू0– चुरन साव व नारायण साव प0– चुरन साव
27	464	26 डी0	उ0– विन्दो साव द0– खुशी सिंह पू0– हिरो ठाकुर प0– रास्ता
17	893	09 डी0	उ0– चन्द्रीका साव द0– ब्रहम्देव साव पू0– गाजो ठाकुर प0– गिरधारी साव

अभिलेख में दाखिल कारणपृच्छा, दाखिल दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील तथा उभय पक्षों के बयानातों से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के पास प्रश्नगत भूमि के स्वत्व से संबंधित अलग–अलग दस्तावेज है एवं इन्हीं अलग–अलग दस्तावेजों के आधार पर अपने स्वत्व एवं दखल कब्जा का दावा करते है। उभय पक्षों का वाद अपने स्वत्व के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाने का है, जिसका निवारण दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपने स्वत्व के आलोक में दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.12 21:41:03 +05:30
Location: 192.168.100.22